न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या–109/2013–14 अन्तर्गत धारा–331(4)ज0वि0अधि0

श्री चन्द्रमणी जोशी पुत्र स्व0 कृपाराम जोशी, निवासी जयदेवपुर, पट्टीं हल्दूखाता, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल ।

बनाम

1. श्री भवानी दत्त (मृतक) जायज वारिसान

1/1– श्रीमती हीरा देवी पत्नी स्व0 भवानी दत्त,

1/2 –श्री भैरव दत्त पुत्र स्व0 भवानी दत्तवीर,

1/3 श्री जगदीश चन्द्र पुत्र स्व0 भवानी दत्त,

1/4– श्री नवीन चन्द पुत्र स्व0 भवानी दत्त

1/5–श्री आनन्दमणी पुत्र स्व0 भवानी दत्त

1/6– श्री राजीव चन्द्र पुत्र स्व0 भवानी दत्त

समस्त निवासी जयदेवपुर, तहसील कोटद्वार, जिला पौडी गढ़वाल एवं 17 अन्य

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता अपीलार्थी : श्री रंजन सोलंकी।

निर्णय

यह द्वितीय अपील अपीलार्थी उपरोक्त द्वारा आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या–04/2011–12 श्री चन्द्रमणी जोशी बनाम श्री भवानी दत्त व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29–10–2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

द्वितीय अपील से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य निम्नवत हैं :–

अपीलार्थी/वादी द्वारा दिनांक 08–06–2006 को सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार के समक्ष ग्राम जयदेवपुर, पट्टी हल्दूखाता के खाता संख्या–13 क्षेत्रफल 9.196 है0 व खाता संख्या–17 क्षेत्रफल 2.576 है0 का बँटवारा वाद इस आधार पर योजित किया गया कि इस भूमि के वह संयुक्त भूमिधर प्रतिवादीगण 01 से 03 के साथ हैं एवं इसी प्रकार संयुक्त रूप से दर्ज कागजात है। इस खाते में वादी/अपीलार्थी व प्रतिवादीगण 01 से 03 का बराबर हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता नम्बर–13 कुल क्षेत्रफल 9.196 है0 में मूल वाद में वादी व प्रतिवादीगण 01 से 04 हिस्सेदार हैं परन्तु प्रतिवादी संख्या–4 श्रीमती तुलसी देवी ने अपने भाग की समस्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या–05 से 14 को विक्रय कर दी है। क्रेतागण के नाम खतौनी में इन्द्राज हो चुके हैं। अब इस खाते में वादी/अपीलार्थी के भाग की भूमि 1.871 है0 प्रतिवादी नम्बर–01 भवानी दत्त की 1.867 है0, प्रतिवादी नम्बर–2 महानन्द के भाग की 1.962 है0, प्रतिवादी नम्बर–3 टीकाराम के भाग

की 1.869 है0 है। तद्नुसार भविष्य में किसी प्रकार के सम्भावित झगड़े को समाप्त किये जाने हेतु उपरोक्त खातों के नियमित बंटवारें की प्रार्थना की गई।

वाद में सुनवाई उपरान्त दिनांक 10–06–2008 को प्रारम्भिक आज्ञप्ति पारित की गई एवं तत्पश्चात दिनांक 17–08–2010 को अन्तिम आज्ञप्ति पारित की गई। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार के आदेश दिनांक 17–08–2010 के विरूद्व वादी/अपीलार्थी ने दिनांक 21–12–2011 को भारतीय मर्यादा अधिनियम की धारा–5 के प्रार्थना पत्र के साथ सशपथ प्रथम अपील प्रस्तुत की जो अन्ततः दिनांक 29–10–2013 को अस्वीकृत की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

सभी प्रतिवादीगण जो द्वितीय अपील की सुनवाई के प्रारम्भ से ही उपस्थित नहीं हुए उनके विरूद्व एकपक्षीय सुनवाई के आदेश दिनांक 21–09–2015 को पारित किये गये।

मैंने अपीलकर्ता/वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

अपीलकर्ता/वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश जिसके अधीन प्रथम अपील को कालबाधित होने के आधार पर अस्वीकृत की गई है जो कि अपीलकर्ता ने विलम्ब क्षमा किये जाने का प्रार्थना पत्र, तत्सम्बन्धी शपथ पत्र एवं साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये उसकी बीमारी सम्बन्धी प्रमाण पत्रों के दृष्टिगत पोषणीय नहीं है क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अत्यन्त कठोर दृष्टिकोण अपनाकर प्रथम अपील को गुण दोष के आधार पर नहीं निस्तारित किया है, कि अपीलकर्ता प्रथम अपील योजित करते समय 86 वर्ष का वृद्व एवं बीमार व्यक्ति था एवं उसके द्वारा प्रथम अपील विलम्ब से योजित करने का आधार स्पष्ट कर दिया था, कि मूल विभाजन के वाद में यद्यपि प्रारम्भिक आज्ञप्ति के विरूद्व कोई आपत्ति नहीं है तथापित कुर्रे आवंटन में अपीलकर्ता को स्थल पर प्रदर्शित एवं वर्णित कुर्रे से भिन्न कुर्रा आवंटित किया गया है। इन आधारों पर द्वितीय अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गईं

प्रथम अपीलीय आदेश के पृष्ठ संख्या–5 के प्रस्तर–2 के अध्ययन से स्पष्ट है कि विद्वान आयुक्त ने प्रथम अपील को कालबाधित माना। इस आधार पर ही अपील के अन्य बिन्दुओं पर विवेचना किये जाने की आवश्यकता नहीं समझी परन्तु यह भी अवधारित किया गया कि अपील विधिसम्मत व न्यायसंगत नहीं है एवं परीक्षण न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इस आधार पर अपील को बलहीन माना। विद्वान आयुक्त ने निष्कर्ष तो यही अंकित किया कि अपील कालबाधित है परन्तु अपील इस आधार पर निरस्त की कि वह बलहीन है एवं परीक्षण न्यायालय का आदेश दिनांक 17–08–2010 विधिसम्मत है। कालबाधित होने के आधार पर अपील के अन्य बिन्दुओं पर विचार न करने की आवश्यकता अंकित कर अपील में बल न होने का निष्कर्ष अंकित करना विरोधाभासी है क्योंकि जब अपील के गुणदोष को देखा हीं नहीं गया अथवा विवेचित नहीं किया गया तो अपील बलहीन होने का प्रश्न नहीं होता है। अपील के कालबाधित होने की स्थिति में अपील इसी आधार पर अस्वीकृत हो सकती थी परन्तु

आक्षेपित आदेश के operative part में उक्तवत आधार अंकित न कर अपील के बलहीन होने का आधार अंकित कर ऐसा प्रतीत होता है कि आक्षेपित आदेश पारित करने में न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं हुआ है।

प्रथम अपील दिनांक 21–12–2011 को प्रस्तुत हुई। दिनांक 02–04–2011 को ग्राह्यता पर सुने जाने हेतु दिनांक 17–05–2012 को प्रस्तुत होने के लिए आदेश पारित हुए। दिनांक 01–06–2012 को ग्राह्यता पर सुनवाई की गई एवं दिनांक 04–06–2012 को अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की गई। ग्राह्यता पर सुनवाई कर अपील ग्रहण करने के उपरान्त अपील गुणदोष पर ही निस्तारित होनी चाहिए थी। कदाचित् विद्वान आयुक्त ने उक्त तथ्य का संज्ञान नहीं लिया। आक्षेपित आदेश के विवेचन सम्बन्धी संगत अंशों के अवलोकन से तद्नुसार अति स्पष्ट है कि उनमें असंगतता (inconsistencies) विद्यमान है

निःसन्देह अपील 13 महीने विलम्ब से प्रस्तुत हुई है परन्तु विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्रों सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिनका कोई खण्ड़न नहीं हुआ है। अपीलकर्ता प्रथम अपील योजित करते समय 86 वर्ष का था। स्वाभाविक है वह बीमार रहता है। उसके उपचार सम्बन्धी चिकित्सकीय पर्चियाँ उसके बीमार रहने के तथ्य को सत्यापित करती हैं। अतः अपील विलम्ब से प्रस्तुत होने के आधार एवं विलम्ब क्षमा किये जाने के कारण पर्याप्त थे। पर्याप्त संख्या में उच्चतर न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त इस सम्बन्ध में उपलब्ध हैं कि न्यायिक प्रकरणों को गुणदोष के आधार पर ही निर्णीत किया जाना चाहिए न कि कठोर एवं संकीर्ण तकनीकी आधारों पर।

उक्त के दृष्टिगत यह अपील स्वीकार कर विद्वान आयुक्त का आदेश दिनांक 29–10–2013 अपास्त किये जाने योग्य है एवं प्रथम अपील विद्वान आयुक्त द्वारा गुणदोष के आधार पर निर्णीत किया जाना आवश्यक है।

आदेश

द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी का आक्षेपित आदेश दिनांक 29–10–2013 अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश से प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रथम अपील का गुणदोष के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारण करें। अवर न्यायालयों की पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **18–03–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।